

that he if wanted this Bill to be discussed by the State Legislatures, it is for him to bring in amendment when this Bill is taken up for consideration. That is the best course. The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI C. K. CHANDRAPPA:
Sir, I introduce the Bill.

15.40 hrs.

HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL—contd.
(Amendment of sections 13 and 15)
by Shri Madhu Limaye.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up for further consideration the Hindu Marriage (Amendment) Bill moved by Shri Madhu Limaye. We allotted two hours; 55 minutes were taken and one hour and five minutes are left. Shri R. R. Sharma was on his legs. He is not here now. Shri Salve.

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (वैनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मधु लिमये जी जो यह विधेयक लाए हैं इस के पीछे उन की जो भावना है, भाव है, मनोभाव है, वह सराहनीय है, काबिले तारीफ हैं। अपने भाषण में एक विवरण उन्होंने सामने रखा था। वह मुसीबते वह अकथनीय मानसिक यंत्रणाएँ जिन से उन लोगों को गुजरना पड़ता है जिन के मसले शादी के विच्छेद से या पुनर्विवाह से संबंधित है, इन के बारे में उन्होंने बताया। ये मानव स्वभाव और मानव प्रकृति से संबंधित मसले हैं। इन सब का सुलझाव, इन सब का उपाय किसी कानून या किसी विधेयक से निकलना तो बड़ा मुश्किल है। भगव यह जरूरी है कि इस तरीके से जब आकृति के पहाड़ उन लोगों पर आ गिरते हैं जिन के जीवन की शूखला, जीवन का प्रवाह रुक जाता है उस में कानून कम से

कम इस तरीके का हो, इतनी अवधारिता ही कानून में कि जो लोग एक तौर तरीके से अपने विवाहित जीवन को न चला सकें या जिन के जूड़िशियल सेपरेशन की लिंगी हो गई हो वे मानसिक यंत्रणा में ज्यादा दिन तक न रहे, दो साल के बदले उस की मियाद छः महीने कर दी जाय।

15.42 hrs.

[**SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI**
in the chair]

लिमये जी ने उस रोज जो विचार रखें, वह उन का एक अराजनीतिक भाषण था, उन विचारों में बहुत शक्तर था, इत्म था, विवेक की एक नई बूलन्दी थी। उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए जिन से यह स्पष्ट हो गया कि एक तो मानवता का प्रश्न खड़ा हो हा जाता है, जिस किसी की शादी में दिक् तें आ जायें, पुनर्विवाह में दिक्कतें आ जायें, विच्छेद का प्रश्न उपस्थित हो जाये उस में कानून ज्यादा से ज्यादा जितनी मदद कर सके उतना ही अच्छा है किसी ने कहा है कि —

रिस्ता जो मुहब्बत का टूट जाता है देखते देखते शीराजा विखर जाता है। यह शीराजा जब विखर जाता है तो यह जरूरी है कि अपनी तरफ से कानून उस मुसीबत में पड़े आदमी को और ज्यादा मुसीबतजदा न बनाए। उन मुसीबतों को जितना दूर कर सके वह करना आवश्यक है।

एक उदाहरण मधु जी बता रहे थे कि जूड़िशियल सेपरेशन के बाद या डाइवोर्स की डिक्री के बाद एक व्यक्ति ने पुनर्विवाह कर लिया पुनर्विवाह की जो मियाद कानून में रखी है उस के पहले कर लिया। नतीजा यह हुआ कि जिस स्त्री के साथ पुनर्विवाह हुआ था, उसी के लोगों ने कानून की आपत्ति उठायी और वह विवाह विसर्जित कर दिया गया। ऐसीनी और डैमेजेज उस को देने पड़े। इस तरीके की दिक्कत और परेशानियों में कुछ तो मानवी दिक्कत हैं और कुछ बनाई हुई दिक्कतें हैं

[श्री नरेन्द्र कुमार सालवे]

इसलिए विशेषक की ओर आवान है, स्पष्टित है, 'उसका मैं पूछत, अनुभोदन करता हूँ और माननीय मंत्री जी तो बहुत विद्वान हैं। यह जानती है, तजुर्बा तो छैर, उनको नहीं हैं इस बात का लेकिन अपनो विद्वान से वह इस बात को जानेगी, समझ लेंगी कि व्यवहारिकता को देखते हुए कानून में यह भिन्नाद कम करना क्या ठीक नहीं है? क्यों कि मैं नहीं समझता कि सिद्धात की कोई बात इस के बीच अ ती है।... (अवबोधन) ... जी हां, मुझे ज्यादा तजुर्बा है शशिभूषण जी 27-28 साल का, आप की भी भी जी के साथ बहुत अच्छी मेरी शादी चल रही हैं .. (अवबोधन) मुझे वह तजुर्बा नहीं है जिस तजवे का जिक्र मधु लिमये जी ने किया था...

श्री मधु लिमये (बांका) : [दूसरो के अनुभवों के आधार पर।

एक माननीय सदस्य : इन को भी जवाब देने के लिए दूसरो के अनुभवों पर ही निर्भर करना पड़गा।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : मैं कह रहा था कि उन को तजुर्बा नहीं है, उस दृष्टि से मुझे भी तजुर्बा नहीं है। मगर मुझे कम से कम शादी का तो तजुर्बा है, उन को वह भी नहीं है।

तो एक बड़ा मार्मिक चिन्ह खीचा था उन लोगों की परेशानियों और दिक्षकतों का और उन को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस विशेषक में जो सुझाव हैं वह मान लिए जाएंगे। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री बसंत साठे (अकोला) : सभापति महोदय, मधु लिमये ज। ज। बिल लाए हैं मैं उसका अनुभोदन करने के लिए बड़ा हुआ हूँ। वैसे मधु जी जब अन्य विषयों पर यहाँ भाषण देते हैं और बोलते हैं तो उस में जानबूझ कर कुछ ऐसी बातें लाते हैं जिस से कि हम एक राय नहीं होते। लेकिन इस मामले में मैं पूरे

हृदय से उन के इरादे के स थ सहमत हूँ वैसे मैं यह चाहता, आप को भी कुछ अनुच्छेद हैं इस मामले में, बकील होने के नाते जो कैसेज हमारे पास आते हैं उन में हम देखते हैं कि किसना कि तभा दुख इन व्यक्तियों को छेलना है...

एक माननीय सदस्य : बकीलों की बजह से।

श्री बसंत साठे : बकीलों की बजह से भी क्यों कि वह लड़ते हैं। उन को तो खुशी इसी में है कि दोनों पार्टीज लड़ती रहे, और जितनी ज्यादा देर वह लड़ेगी उतनी ज्यादा फैस उन की बढ़ेगी।

श्री मूल चन्द डाणा ((पाली)) : यह गलत बात है।

श्री बसंत साठे : कुछ बकील नहीं होते ऐसे।

एक माननीय सदस्य : उन की चलती नहीं होगी।

श्री बसंत साठे : जो ऐसे नहीं होते उन की चलती नहीं है। चलती उन्हीं की है जो लड़ते रहते हैं और मैं डाणा साहब को बताऊं कि हमारी भी नहीं चलती है।

बात यह है कि मैं तो यह चाहता कि डाइवोर्स की या जुड़िशियल सेपरेशन की डिक्री होने के बाद इतने भी समय तक रुकने की क्या बजह है? एक बार जहाँ हम कहते हैं कि मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, काजी हो गया न्यायाधीश, तो अब कोट में जाये मिया बीबी कह रहे हैं कि हम इकट्ठा नहीं रहना चाहते, या तो मिया कहता है मा बीबी कहती है और उस के बाद आप कहते हैं कि नहीं, दो साल रुकिए, सोचिए, इस के क्षेत्र फिर विचार कीजिए। फिर ये कैसेज इतनी देर तक चलते रहते हैं कि पहले तो कचहरियों के ही मामले में जुड़िशियल सेपरेशन की डिक्री

लेने में ही दो-दो बार-बार साल लग जायें, फिर डिक्की हो तो उसके ऊपर प्रपील बमैरह होती रहती है, फिर वह फाइनल हो। उस के बाद फिर दो साल के लिए रोकना यह एक बहुत बड़ी अवधि हो जाती है। तो मेरा यह निषेद्ध है कि इन्होंने कहा है इस को छः महीने रखिए उस को मानने में वस्तुतः कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं कोई तर्क इसके लिए सोच नहीं पाता हूँ कि क्यों हम यह कहें कि इसे अब यह कहा जा सकता है कि साहब छः महीने आप ने क्यों कहा, नौ महीने क्यों नहीं कहा। नौ महीने का क्या खास महत्व है? तीन क्यों नहीं कहा?

श्री भूषु लिमये : आप तीन कर दीजिए।

श्री वसंत साठे : कम करने में मेरा रुचाल है मधु जी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यह कोई तर्क नहीं हो सकता सरकार की तरफ से या और किस की तरफ से कि आप छः महीने क्यों कह रहे हैं?

इस विषय पर मैं और ज्यादा किसी सद्वातिक बात में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे समाज में शादी, हम ने यह दखा है कि अभी भी कोई पनि पत्नी की सहमति से नहीं होती है। आज भी हमारे हिन्दू समाज में ज्यादतर विवाह माता पिता की इच्छा से होते हैं और बहुत से बच्चे खास कर कर्याएं, बाबूजूद इसके कि शारदा एक्ट है, छोटी उम्र में ही, 11-12, 13-14 वर्ष की उम्र में ही व्याह दी जाती है। माता-पिता अच्छा ही सोच कर करते होंगे, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि विवाह आखिर दो व्यक्तियों के जीवन का सम्बन्ध है, केवल एक दूसरे के हृदय मिलन का ही नहीं है, शारीरिक मिलन का ही नहीं है, आत्मा के मिलन का ही नहीं है। जब तक सारी चीजों का सम्बन्ध न हो, तब तक वह विवाह सही विवाह नहीं है और यदि हम जबरदस्ती कहें कि समाज की मान्यता है, इसलिए तुम्हें इकट्ठे रहना ही चाहिए, तो केवल दब्बों के लिए ही वह

मां जीवन जीती है, वह जीवन सुखी नहीं दुखी होता है। इस मामले में खास कर स्त्रियों के साथ ज्यादा अन्याय होता है, क्योंकि हमारे समाज में पुरुष ज्यादा आजाद है। एक स्त्री से वह सन्तुष्ट न हो तो बाहर भी जा सकता है, उस को कोई दोष नहीं देखा। लेकिन स्त्री कहीं नहीं जा सकती, स्त्री जरा आंख उठा कर किसी की तरफ देख ले तो उस पर भ्रष्टाचार का आरोप होगा और उस का जीवन दुःख्य हो जायेगा अनैतिकता का आरोप होगा।

श्री भूलचन्द डागा : यह आप अपने अनुभव से कह रहे हैं।

श्री वसंत साठे : यह आज हमारे समाज की वस्तुस्थिति है। हमारे डागा जी शायद रुद्धि परम्परा के पक्ष में होंगे, वे कहेंगे कि हिन्दू समाज में स्त्री को विवाह विच्छेद का अधिकार होना ही नहीं चाहिए, एक बार किसी पुरुष के साथ जकड़ दिया गया, विवाह बन्धन में बांध दिया गया तो एक गाय या बकरी की तरह जिन्दगी भर उस के खूंटे से बंधी रहे—लेकिन वास्तव में यह जाति अन्यायकारी है।

सभापति जी, मेरा यह कहना है कि आज, जब कि इस वर्ष हम महिलाओं का मन्तराष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं, कम से कम स्त्री अधिकार का एक कदम तो उठाये, इतना अधिकार स्त्री को देने की मेहरबानी करें, क्योंकि इस में ज्यादा सवाल स्त्री के ऊपर होनेवाल अत्याचारों का है। मधु लिमये जी जो बिल लाये हैं—आज इस वर्ष में मेरी यह मान्यता है—अक्सर यह होता है कि प्राइवेट मेस्वर्स बिल लाता है, उन को हम यह कहते हैं कि हम इस पर सोच रहे हैं, कुछ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे या सरकार की ओर से कोई काम्प्रीहेन्सिव बिल लायेंगे। लेकिन जहां तक इस बिल का सम्बन्ध में यह ठीक है कि इस सवाल के साथ कुछ दूसरे सवाल भी जुड़ हुए हैं—हिन्दू मैरिज एक्ट में बहुत काफी परिवर्तन होने की गुंजाइश है, खास तौर से जो इस में कारण

[बी बंसत साठे]

यिए हुए हैं जन में श्री कल्पी लक्ष्मीली की अकरत है, त्रृष्णा कि मधु लिमये जी ने तो अपने विस को बहुत सीमित रखा है, 6 महीने के लिए कहा है.....

श्री मधु लिमये : जल्दी फैसला हो जाये, इस लिए ऐसा रखा है।

श्री बंसत साठे : मुझ मालूम है आज बहुत से ऐसे केसेज हैं जो मुझीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पैन्डिग हैं। आप जरा सोचिए—एक स्त्री के पुनर्विवाह की आयु क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए? यदि विवाह होने के बाद दो-चार साल में दिखाई दे कि वह विवाह नहीं चल पा रहा है—किसी भी कारण से, तो आप सोचिए—वह आजाद हो कर पुनर्विवाह करना चाहे तो क्या उम्र होनी चाहिए। अगर 30-35 या 40 साल तक की उम्र उस की इस ज्ञान में चली जाये और और उस के बाद आप यह आशा करें कि वह अपना जीवन किसी दूसरे के साथ शादी कर के बिता सकती है—मैं समझता हूँ कि यह अन्याय होगा।

इसलिए मैं महिला जी से अनुरोध करूँगा कि वे सरकार की ओर से इस के पीछे जो आवाना है उस को स्वीकार करें और यदि वे सर्वांगीण सुधार करने के लिए कोई कम्प्री-हेन्सिव बिल लाना चाहती हैं—हिन्दू विवाह कानून के बारे में—तो फिर मैं कहूँगा कि ठीक है, मधु जी को कहा जा सकता है कि वे उस आश्वासन को मान लें। लेकिन यदि ऐसी सम्भावना नहीं है तो कम से कम उन को राहत देने के लिए मधु लिमये जी के बिल को स्वीकार करना चाहिए—ऐसी भी भी अपर्णा है।

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, मधु लिमये जी जो प्रस्ताव लायें हैं—उस में दो रायें नहीं हो सकतीं। वे स्वयं अन्तर्यामी भी मालूम होते हैं, बहुत से लोगों की व्यथा का शायद उन्होंने

भावना किया है। इस सम्बन्ध में बहुर्वार्ष से विभार करता है और वे मंत्री जी ने इस बाबूजा कि इस प्रस्ताव पर विभार करने के लिए अपर्याप्त कोई कास्टेटी बताई जा सके और वह विभार करके फैसला दे, क्योंकि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वहीं उन को इस से इन्सेन्टिव न मिल जाये, क्योंकि आम तौर पर इस का समर्थन उन लोगों से प्राया जिन की उम्र लगभग 50 वर्ष से ऊपर है। आम तौर पर वही लोग पुलविवाह करते हैं, 50 के बाद ही ऐसे विवाह होते हैं। मंत्री महोदय अगर इस बात को बतलायें तो बड़ी अच्छी बात होगी कि क्या आम तौर पर जो तलाक की दरखास्तें आती हैं, वे 50 साल की उम्र के बाद ज्यादातर पुरुषों की तरफ से आती हैं और छोटी ऊमर में लड़कियों की तरफ से आती हैं, लेकिन मेरा अनुभव तो यही है। कई बार बड़ा अजीब सा लगता है—एक मामला मेरी नालिज में आया—सेलज टैक्स में डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने चाहा कि उन की पुरानी शादी से उन का अलगाव हो जाये। कोर्ट में केस चल रहा है, केस के चलते चलते तंग आ गए, इस बीच में उन्होंने शादी कर ली, अभी कोर्ट में क्या फैसला होगा, पता नहीं। डिप्टी कमिश्नर, दिल्ली और दूसरे आदू ए० एस० अफसर उन पर टूट पड़े, वह बेचारा क्या करे। वह कहने को तैयार है—अगर अदालत मेरे खिलाफ फैसला करती है तो जो सजा होगी मैं भुगतूँगा, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ उससे वंचित करने की बात क्यों सोची जा रही है। कई बार वर्षों केस चलते रहते हैं लोग यक जाते हैं मैं तो इसे अन्याय ही समझता हूँ। इस में कोई शक नहीं है कि जो भी फैसला हो अदालत के द्वारा होना चाहिए, लेकिन फैसला तो हो।

इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मधु लिमये जी का यह प्रस्ताव बहुत

माकूल अस्ताव है और मैं इस का समर्थन करता हूँ। इस पर एक कमेटी बना कर विचार किया जाय और एक काम्प्रीहैन्सिव बिल सांचा जाये। इसके घोर भी बहुत से ममेन्डिशनिक पहलू हैं, जिन पर विचार किया जाये, क्या कारण है कि लोग इस तरह से अदालतों में चले जाते हैं। हमारी सामाजिक परिस्थिति ऐसी है कि जब तक सोगों को पूरी सिक्योरिटी लाइफ में नहीं होगी तब तक इस ढंग की घटनायें घटती ही रहेगी और जो समाजाहम बनाना चाहते हैं, जो हमारे दिमाग में है कि समाजबादी समाज बने, उस में विवाह विच्छेद की समस्या नहीं होगी। उस बक्त बहुत कम सरकार का दबल मनुष्यों के व्यक्तिगत जीवन में होगा, उस बक्त अदालतों की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन इस बीच में जब तक कि हमारे आर्थिक स्ट्रक्चर में इस प्रकार का बड़ा मतभेद लोगों में है, सामाजिक व्यवस्था में है, यह बड़ा मीधा-सादा प्रश्न है और इस का फैसला होना चाहिए। इसके लिए समरी कोट्स हों जिनमें इस किस्म के केमेंज किए जाये। यदि उसमें महिलायें भी जज हों तो कोई हर्ज नहीं है; लेकिन फैसले जल्दी हो इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ सरकार गहराई के साथ विचार करके एक काम्प्रीहैन्सिव बिल सांचा जाये।

बी मूल अन्द डागा (पाली): सभापति जी, विवाह केवल शारीरिक संबंध नहीं है, आत्मिक सम्बन्ध भी है। (अध्यवधान) आर्थिक भी उसी में आ जाता है। ला कमेशन आफ इंडिया ने जो अपनी 59वीं रिपोर्ट पेश की है उसमें डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो वर्ड्स हैं उनकी याद में आपको फ्रिसलाना चाहता हूँ :

"In adopting these four legislative measures, Parliament has acted upon the principle formulated by Dr. Radhakrishnan that "to survive, we need a revolution in our thoughts and outlook". From

the alter of the past we should take / the living fire and not the dead ashes. Let us remember the past, be alive to the present, and create the future with courage in our hearts and faith in ourselves."

डा० राधा कृष्णन ने यह बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है :

"The structure of any society, which wants to be strong, homogenous and progressive, must, no doubt, be steady but not static; stable but not stationary; and that is exactly the picture we get if we study the development of Hindu law carefully before the British rule began in India."

अब जैसे आप मंत्री पद पर है, यह बिल ऐसे ही निकल जाये, आप इसको नजरन्दाज कर दें तो इसका दोष कौन लेगा? मैंने इसमें अमेन्डमेंट दिया है कि जुड़ीशियल सेपरेशन डिक्री होते दे दिया जाये। मधु लिमये जी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, 6 महीने का क्या मतलब होता है?

श्री मधु लिमये : आप हमारी बात नहीं मानेंगे लेकिन मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ।

श्री मूल अन्द डागा : मैंने 20-25 मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किए हैं। जबेज ने हृयमन एप्रोच की कोशिश की लेकिन प्रेम अगर एक बार टूट जाता है तो किर वह जुड़ता नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपस में भन-भटाच हो जाता है तो किर उसको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हिन्दू ला में अमेन्डमेंट करने के लिए ला कमीशन ने खुद लिखा है। उन्होंने कहा है कि एक साल का समय क्यों दिया जायें।

दूसरी बात यह भी है कि अगर कंजुगल राइट्स डिक्री भी हो जाती है तो उसको एंजी-क्यूट कैसे किया जाये? सिपाही को विडकर लड़की को बुलाका जाता है और वह कहती है कि मैं नहीं यह सकती तो किस उसका काम्प्री-कूलना कहे हो सकता है। अब दोंसाझ की

डिक्टी हुई है कि आप साल-साल दो और लड़की कहती है मैं नहीं रखती तो डिक्टी की कथा बेस्थ है। फिर भी आप कहते हैं दो साल इन्तजार करो।

श्री ई० सोहन साल (करोलबाग) : मैं तो बीस साल चाहता हूँ।

श्री मूल चन्द ढामा : फिर तो मैं कहूँगा उनको अजायबवर में रखा जाये।

श्री ई० सोहन साल: अगर समय मिला मैं आपको बताऊँगा।

श्री मूल चन्द ढामा : आ कमोशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें जो उन्होंने आज्ञावैश्वन्स किए हैं जगह-जगह पर उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि क्या यह समय रखना जरूरी है?

डिक्टी होने में क्या होता है? जब रिटिन स्टेटमेंट सबमिट करते हैं तब भी मैंजिस्ट्रेट कहता है आप मत लिखिये। आप हृयूमन एंप्रोब की बात करवाते हैं। फिर जो डिक्टी होती है वह भी दो ढाई साल के बाद होती है। इस तरह से आप साल का पीरियड हो जाता है। इसलिए मैं ने मध्य लिमिट जी से प्रार्थना की है। यह कानून कोई क्रांतिकारी कानून नहीं है बल्कि एक आवश्यक कानून है। जुड़ीशियल सेपरेशन की डिक्टी होने के बाद कोई एक दो इंस्टांस ही आप बतायें जिसमें वापिस मिलने को कोशिश को रहि। (अज्ञान) आज जो हल स.साइटी बनाना चाहते हैं उसमें कर्क है। आज्ञा के समाज में लड़की भी अपने कर्ज को समझती है। आज समाज में जो रद्दोबदल आ गया है उसको देखते हुए यह ढाइम मुकर्रर करता कि दो साल का पीरियड जुड़ीशियल सेपरेशन का रहे, मेरी राय में मह छीक नहीं होगा। इसलिए मैंने जो प्रमेन्डमेंट दिया है कि बिलकुल समय न रखा जाये उसको आप एक्सेप्ट करें।

श्री ई० सोहन साल (करोलबाग) : समझति ची, मैं इस बिल का जिरोब करता हूँ और जो असी मौजूदा कानून है उसको

सपोर्ट करूँगा। यह दो साल का जो पीरियड रखा गया है, मेरे कई दोस्त नहीं समझते कि यह दो साल का पीरियड क्यों रखा गया है। दो साल का पीरियड इसलिए रखा गया है कि दोनों में जो झगड़ा हुआ है, हो सकता है उसका निष्टारा हो जाये। कई सम्बन्धी और दोस्त लोग उसमें भद्र पहुँचा सकते हैं। कई मामले ऐसे हुए हैं तभी मैं यह बात कह रहा हूँ। आज दुनिया में प्रैकटीकली बात को नहीं सोचा जाता। यह कोई अनुभव बाली बात भी नहीं है। मैं आपको ऐसे व्यक्ति बताना सकता हूँ जिन्होंने लव मैरिज की है लेकिन बाद में रोते हैं। अगर बास्तव में देखा जाये तो जो पुरानी परम्परा है उसको कुछ नया रूप लेन् चहिए लेकिन जैसा लोग कहते हैं बाल विवाह होते थे परन्तु मैं कहता हूँ वह बाल विवाह आज के विवाहों से अच्छे हैं। (अज्ञान) अगर मेरे से पूछा जाये तो वह खानदान का लिहाज, वह परम्पराये और वह शार्म सब अच्छी बातें हैं। लेकिन आप पश्चिमी सम्मता पर चलना चाहते हैं। पश्चिमी सम्मता में जो बुराहायां हैं उनको लेते हैं लेकिन हमारे यहां जो सम्मता है, जो अकलभन्दी है उसको नहीं लेना चाहते। पश्चिमी देशों में अगर देखा जाये तो जिसको कर्त्ता कहते हैं वह हमारे यहा 12 साल के बाद नहीं रहती और वहां पर 18 साल के बाद नहीं रहती। दोनों जगह इतना अन्तर है। हमारे देश की जलवायु यमै है, यहां पर 12 साल की लड़की रजस्वला हो जाती है लेकिन पश्चिमी देशों में 18 साल की लड़की रजस्वला होती है क्योंकि वहां की जलवायु ठंडी है। आप उस बीज को लेते नहीं हैं और कहते हैं कि हमारे यहां की कुछ एजूकेशन ऐसी है। मैं यह मानता हूँ कि कुछ नवापन आना चाहिए भौंगर 'नवेपन का असज्जन यह नहीं है कि बिलकुल ही हम अपनी सम्मति को भूल जाएँ। अगर सम्मति को भूलते हैं, तो मैं एक बात कहता हूँ कि

हूँ कि वर्वर्मेंट की तरफ से यह भी लाना चाहिए कि जो कास्ट में शादी होती है, उनको लोड देना चाहिए। आप इस को क्यों नहीं सोचते। आज तो यह है कि अगर ब्राह्मण ठैं, तो ब्राह्मण के यहाँ शादी होती और वह दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकता। आप लाएंगे वह चीज़ ? नहीं लाएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप ने जो दो साल बाली बात इस बिल में कही है, वह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि यह 5 साल होना चाहिए ताकि आसानी से वह कोर्ट में न जाए। उनको यह पता होना चाहिए कि इतनी लम्बी अवधि होगी तो परेणानी होगी, इसलिए अच्छा यह हो कि जगड़ा ही न हो।..... (अध्यधन)..... अगर आप समय कम रखते हैं तो इस में यह होगा कि शादी कर के ले आए और मन में पसन्द नहीं आई बीबी, तो कल को उस को छोड़ दिया। इसलिए समय कम करने से इस तरह के कैसेज बहुत ज्यादा होंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : जहाँ तक विचलेद का कानून है, उस में कोई संशोधन नहीं ला रहे हैं और यह हररिंगन नहीं चाहते कि आज शादी कर के लाए और आप की तबियत नहीं प्राई, तो कल बीबी को निकाल दिया। इस में आप एक बात को समझ लीजिए कि जब यह बात निश्चित हो जाए कि जूडीशियल सेपरेशन की डिक्री हो जाती है और यह निश्चित हो जाता है कि ग्रन्ट ग्रूप के हाथों से की डिक्री हो जाती है, उस के बाद दोनों को जुदा रखने की कोई जरूरत है क्या ?

श्री दी० सोहन साल : दो साल का टाइम ही इसलिए रखा है कि दोनों को सोचने का टाइम मिल जाए। आप आइ देखें कि तलाक के लिए ज्यादातर आदमी ही जाते हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : विस्तृत गलत श्री मधु लिम्बे जी के पास इस के आंकड़े हैं।

श्री दी० सोहन साल : आप आंकड़े देख लीजिए। 95 फीसदी लोग जाते हैं स्त्रियाँ नहीं जाती हैं। आज बेचारी स्त्री चाहे जितनी दुष्की हो, वह तलाक नहीं लेती है।

श्री मूल चन्द ढागा : भौतक के लिए इन्होंने 'बेचारी' शब्द का प्रयोग किया है, इस को हटा दिया जाए। यह शब्द ठीक नहीं है।

MR. CHAIRMAN: He is expressing a view with which you may not be in agreement, but you permit him to express his views.

श्री दी० सोहन साल : हमारे यहाँ स्त्री को गऊ माना गया है।

श्री मूल चन्द ढागा : स्त्री को पशु भी माना है, यह कथा बात आप करते हैं।

श्री दी० सोहन साल : चलिये, बराबर का साथी माना गया है।

मैं यह कहूँगा कि यह जो दो साल का पीरियड रखा गया है, इसमें भी कुछ भेद है और इसके होने से हरेक आदमी कोर्ट में नहीं जाएगा। यह बात स्त्रियों के लिए कह सकते हैं, लड़कियों के लिए कह सकते हैं लेकिन यह बात भी सही है कि कुछ स्त्रियाँ ऐसी हो सकती हैं जो यह कहें कि मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक मेरे मां-बाप ने नहीं की है और वे कोर्ट में जासकती हैं। अगर दो साल से कम पीरियड आप रखते हैं तो ज्यादा कैसेज कोर्ट में जाएंगे। इसलिए दो साल का जो पीरियड रखा हुआ है, वह ठीक है और मैं तो कहुँगा इतना पीरियड होने से बहुत कम लोग शादी-बनवाने को तोमर्हते हैं।

श्री चलिये साठे : आप बकील हैं ?

श्री दी० सोहन लाल : अगर वक्तिल होता, तो आप की बात कहता। वक्तिलों को तो ज्यादा कैस चाहिए। अगर बीच बाला पीरियड ज्यादा न हो, तो ज्यादा क्लेस आएंगे और उद्धनां ज्यादा नहीं बनेगा। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। आप अपने मतदात से इस का स्पोर्ट कर रहे हैं।

श्री बसंत साठे : माफ कीजिए, मैं इन्हृष्ट कर रहा हूँ। आप ने केस को समझा ही नहीं। जब विवाह-विच्छेद के डिक्टी हो जाए, उस के बाद छः महीने रखने की बात इस बिल में कही गई है। जब केस चलता रहे तो इन दो, तीन सालों में वे आपस में तथ कर ले कि इकट्ठा रहेंगे या नहीं रहेंगे। तब तो कह दिया कि इकट्ठा नहीं रहेंगे, आपस के लड़ लिये और डिक्टी ले ली। अब डिक्टी लेने के बाद जबर्दस्ती दो साल तक बेट करने की नीति कहा तक सही है?

श्री दी० सोहन लाल : मैं आप को बताऊं कि मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं जिन के अन्दर तलाक हो चुका था और दो साल का टाइम जो रखा गया है, उस के अन्दर कुछ ऐसी बात हुई कि वे फिर आपस में मिल गये। ऐसे कैस दिल्ली में हुए हैं। उन के जो बच्चे वे बीच में आ कर कहीं बने और वे दोनों फिर बापस आ गये।

श्री बसंत साठे : डाइवोर्स की डिक्टी के बाद वे कैसे आ गये।

श्री दी० सोहन लाल : बिल्कुल आ गये।

श्री बसंत साठे : जूरिशियल सेपरेशन के बाद।

श्री दी० सोहन लाल : जी हाँ। पहिली बूल्से से जा कर बोर्ट में चले गये। बोर्ड डिक्टी से ली, और बिल बदल में वे बिल गये। वे बिल्सी के कैन हैं और मैं इन के बारे में

जानता हूँ। 60, 65 वर्ष की उम्र की उम्र भी। अगर कहते हैं कि यह हो नहीं सकता। अगर दो साल का पीरियड न रखा जाए, तो क्यों फिर से शादी कर लेने और शादी कर लेने के बाद वे फिर एक साथ नहीं आएंगे। दो साल में फिर से एक होने का जो मौका मिलता है, वह नहीं मिलेगा। अगर पीरियड कम होता, तो दूसरे दिन ही वे शादी कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर तलाक बाले जो होते हैं वे वही लोग होते हैं जो पहले कहीं दूसरी जगह अपनी आंख लड़ाए बैठे रहते हैं। यह बिल्कुल सही बात मैं आप को बता रहा हूँ वरना जिस के घर में अपनी स्त्री है, वह अपनी स्त्री पर ही सब करता है और कभी तलाक बाली बात नहीं करेगा। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और जो दो साल का पीरियड इम समय है, वही ठीक है।

श्री आर० श्री० बडे (खरगोन) : यह जो मधु लिये जी ढारा बिल लाया गया है, मैं इस का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूँ कि यह जो छः महीने का समय रखा गया है, यह क्यों रखा गया है। मैं कोई मैं प्रेक्टिस करता हूँ और मैंने यह देखा है कि जब कभी डाइवोर्स की डिक्टी हो जाती है, तो स्त्री दो-दो साल के दूधर उधर मारी फिरती है क्योंकि ऐटिनेंस का राइट नहीं रहता है। इस पीरियड में वह अपने बच्चे को कैसे संभाले। इसलिए अगर काम्हीहैसिब बिल लाया गया होता, तो बड़ा अच्छा होता। इस बिल के अन्दर यह बात भी होती : “for six months—the time is given—she should be provided with some maintenance.” तो अच्छा होता। इस प्रकार का बिल होना चाहिए था। वाकी जो बिल रखा गया है, वह बिल अच्छा है और इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इस का समर्थन कर रहा हूँ।

इस विल के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह जो उँचाईने का परिवर्तन है, उस में आप स्त्री के मैन्टेनेंस के लिए क्या करेंगे। उस के पास खाने पीने को कुछ नहीं है और उस के पास एक छोटा बच्चा है। इसलिए एक काम्प्रीहैसिव विल होना चाहिए था और उस में यह होना चाहिए था :

"For six months, the husband or other persons should make some provision for maintenance."

इस प्रकार का प्रोवीजन होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विल का समर्थन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस विल को पास किया जाए।

सरदार स्वर्ण सिंह सोली (जमशेदपुर) : चैयरमैन साहब, यह जो एमेंडमेंट मध्य लिमये जी लाए हैं, यह एक लिहाज से ठीक ही है क्योंकि हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 जो है वह आज कल के लिहाज से थोड़ा पुराना हो चुका है और वह डिफेक्टिव हो गया है। शादियाँ जो हती हैं वे हमारे यहां जो रस्में हैं उन के लिहाज से होती हैं और हिन्दूओं की अपने लिहाज से होती है, सिक्खों की अपने लिहाज से होती है और सिविल मैरिज कोर्ट में जा कर होती हैं।

श्री वसंत साठे (अंग्रेजी) : सिक्खों के यहां भैरव किस निहाज से होती हैं।

सरदार स्वर्ण सिंह सोली : सब के ढंग अलग-अलग हैं। हम शादी गुरु ग्रन्थ साहब के सामने करते हैं और आप आग के सामने करते हैं।

जहां तक डिकी के बाद के टाइम का संबोध है, मैं समझता हूँ कि इस में टाइम का संबोध ही क्या है। जब सम्बन्ध टूट जाया, तो जामला खत्म ही गया, मगर एक बात का अपारंपारिक को रखना चाहिए। यहां पर बहुत से बच्चों साहबों बैठे हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप

अमेरिका की तरफ देखिये। आप ने किताबों में पढ़ा होगा कि अमेरिका में शादियाँ और तलाक बहुत जल्दी-जल्दी होते हैं और योरोपियन कन्ट्रीज की बात भी यही है। पिछली दफा एक मैगजीन में निकला था कि एक औरत है जिस की उम्र 40 साल की है और उस का वह 15 वां, 16 वां या 20 वां तलाक था। इसलिए यह जो डाइवोर्स की बात है, इस के बारे में गवर्नमेंट को बहुत समझ-बूझ कर कानून लाना चाहिए और जैसा कि और माननीय सदस्यों ने भी कहा है, एक काम्प्रीहैसिव विल इस सम्बन्ध में आना चाहिए। आज यह एमेंडमेंट लाए हैं, कल को और लानी पड़ेगी। डाइवोर्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन डिकी के बाद जो समय है उसको रखने की बिलकुल जरूरत नहीं है। इस में तो कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिये। मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट इस विल को लाती और साथ-साथ और भी उसको चाहिये कि एमेंडमेंट वह लाए। ऐसा उसने किया तो बहुत अच्छा होगा।

श्री मती सावित्री श्याम (आंबला) : लिमये जी का यह जो छोटा सा सुझाव है वह बहुत ही प्रगतिशील सुझाव है। इस सुझाव को देख कर बड़ी प्रसन्नता मुझे हुई है। सभी माननीय सदस्यों ने इस कदम का स्वागत किया है सिवाय एक दिल्ली के मैन्डर के। इस में संदेह नहीं है कि सभाज के एक बर्ग पर ही वह चीज लागू होती है। सभी के लिए यह कानून नहीं है। विवाह एक सेनेट कॉमिटी है, एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार में अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा रखी हैं। सदियों से स्वी इस शूंखला की कड़ी के रूप में खड़ी आपको नजर आएगी। गुलामी की जंजीरों के बंधनों में वह जकड़ी हुई है। अन्य से लेकर हीं जामलामें तक और जब कड़ी उसके निवाह की बात होती है वह बालों की तरफ से तो उसकी यही शिका दी जाती है कि तू उस चर से तभी निकलना चाहते थे – मृत्यु हो

जाए, तेंदी अर्थी ही वहाँ से निकले। इतनी अवस्था, इसी तुच्छ और इतनी छोटी उसको बना दिया जाता है। उसके प्रन्दर सोचने समझने की शक्ति विलक्षण खत्म हो जाती है।

विवाह एक पवित्र संस्कार है। इस कमेटी का एक मैम्बर होने के नाते मुझे बहुत कुछ देखने को मिला है विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में। मैं इन दो प्रान्तों की बात इसलिए कह रही हूँ कि उनके हमने उदाहरण येता किए हैं। महिलाएं कसकती हैं, कराहती हैं, हृदय में दुखी होती है और ये भाव उसके चेहरे से साफ अलगते हैं साफ पता चलता है कि कितनी आत्मिक पीड़ा इसको है लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती है। इस प्रगतिशील युग में जबकि आर्यमट्टु दुनिया के चक्कर लगा रहा हो वहाँ हम उसी पुराने संस्कार पर अड़े रहे कि विवाह एक पवित्र चीज़ है और वह बंधन जिन्दगी भर नहीं टूट सकता है, इस जिन्दगी में तो क्या मृत्यु के उपरान्त भी टूटने वाला नहीं है और ऐसे प्रगतिशील कदम को ब उठाएं तो यह न्यायोचित बात नहीं है, न महिलाओं के साथ न्याय करना। और न पुरुषों के साथ न्याय करना होगा।

यह ठीक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात की धोषणा कर दी है कि दुनिया की महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिलने चाहिए, उनके साथ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर न्याय होना चाहिए। हिन्दुस्तान ने भी आवाज उठाई है कि स्त्रियां जी दबी रही हैं, जिन को अवला बनाया गया है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। स्त्रियां जी दबा करती थीं। पटना हाई कोर्ट ने लैंड-यूलू कास्ट की महिलाओं को बेद पढ़ने से बचा कर दिया। सभाओं के लिए उसने कुछ नहीं किया। बेद पढ़ने तक उन पर दोक लगा दी थी, लगानी नहीं यह सकती थी; आप सेवों कि जब आवश्यकता पड़ती है पुरुषों को

महसी की, वह की तो ये सहसी के रूप में लड़ी की पूजा करते हैं, जब जरूरत पड़ती है विवाह की तो सरस्वती के रूप में उसकी पूजा करते हैं और जब शक्ति की जरूरत होती है तो देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। हर रूप में स्त्री की पूजा करते हैं। अन्यपूर्णा मान कर उसकी पूजा की जाती है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जितना सोषण स्त्रियों का हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ है। आज उन में शिक्षा कुछ बढ़ रही है। वह अपने पांवों पर बड़ी हो रही है और आगे बढ़ रही है। पुरुष समाज में इतनी पशु वृत्ति आज बढ़ गई है कि इसके बशीभूत हो कर उसने जानबूझ कर उसको बेश्या बनाना शुरू कर दिया है। पुरुषों की इस वृत्ति के कारण ही उसको मजबूर हो कर बेश्या बनना पड़ता है और बेश्या वृत्ति बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे खुशी है कि पुरुष समाज इस प्रकार के प्रगतिशील कदम उठाने के लिए तत्पर हो रहा है। जैसे डांगा जी ने कहा था कि प्रेम का बंधन एक बार अगर टूट गया तो वह दुबारा नहीं जुड़ सकता है, उस में गांठ पड़ जाती है। यह कच्चे धागे के समान होता है, एक बार टूट जाए तो गांठ पड़ जाती है लेकिन जुड़ता नहीं है। अगर स्त्री और पुरुष साथ-साथ नहीं रह सकते, जीवन नहीं बीता सकते और सैपेरेशन लेना चाहते हैं तो मैं महिली जी से निवेदन करूँगी कि वह भी एक महिला हैं, उनका विवाह नहीं हुआ है लेकिन महिलाओं की कठिनाइयों को वह भली प्रकार समझती है, उनके दुखों का एहसास उनको है, कि वह ही एक विल हाउस में लाएं और जो बहुत बड़े गैंग हैं कि शादी के तीन बरस तक स्त्री या पुरुष कोई एप्लीकेशन नहीं दे सकता है, उसके बाद आर छः साल तक मुकदमा चलने के बाद जब उसको ज्यूडिजल सैपेरेशन मिल जी जाता है तो दो बरस तक फिर उनको इंजार करना पड़ता, इन समसियों को यह हटाएं। यह जो बाद की अवधि है इन्हें ये सरकारों की स्वितेदा, कोमिशन करेंगे, जब जनेशिया करेंगे यह को

दूसरा करेगा इससे बहुत सा विविधी का बहुभूल्य समय नष्ट हो जाएगा। इस बास्ते मानवता की दृष्टि से भी आप विचार करें तो आप इसकी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि लैपेरेशन का रिजल्ट यह होना चाहिए कि दिक्षी हो जान के बाद कोई और समय देने की आवश्यकता नहीं है। इस बास्ते यह जो कंसेप्ट है, यह जो उत्तूल है इसको वह स्वीकार करें और अपनी ओर से कोई दूसरा बिल इस सदन में लाएं। हमारी समिति ने जो रिपोर्ट दी है और उस में जो सिफारिशें हैं उनको भी वह ध्यान से देखें और जो-जो सिफारिशें समझती हैं कि अच्छी हैं उनको कार्यान्वित करने की कोशिश करें।

विधि, न्याय और कम्पनो कार्य मंत्रालय में राज्य भंडे (डा० सरोजिनी महिली): हिन्दू विवाह कानून में संशोधन करने के लिए जो बिल लियाये जी लाए हैं उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे खुशी है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं यह भी नहीं कहती हूँ की हर सदस्य को निजी अनुभव के प्राधार पर ही बात कहने का अधिकार है। आयु बहुत छोटी होती है लेकिन अनुभव बहुत लम्बे होते हैं। हर चीज का अनुभव हर किसी को प्राप्त हो यह नहीं हो सकता है। हर कोई अपने विवेक से, बुद्धि से, सोच विचार करके औरों के लिए भी मन बना कर आगे बढ़ता है। कानून क्या चीज है। कई सालों के अनुभव और अनुभूतियों को नियमों के अधीन जो रखा जाता है, वही कानून है। कानून कोई दूसरी चीज नहीं है।

crystallised commonsense of the people for ages together.

MR. CHAIRMAN: Codified

SHRI N. K. P. SALVE: Organised.

डा० सरोजिनी महिली: इसलिए कानून में संशोधन होते रहना जनता की सुविधा के लिए या समाज की सुविधा के लिए बुरा नहीं है। लेकिन बास्त-बार नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिलकुल भी ज

हो। सुविधा के लिए कानून में परिवर्तन होना अत्यन्त आवश्यक है। हिन्दू विवाह विवेयक में जो संशोधन लाने वाला विवेयक रखा गया है और जो भाषण उस पर हुए हैं उन से मुझे यही लगा है कि सदन इसके बारे में बहुत जागृत है, सचेष्ट है। मेरे विचार में सदन इस बारे में बहुत जागृत और काफी सतक रहा है। जब हिन्दू कानून का कोडिफिकेशन हुआ, तो उस समय भी लोगों ने उस का बहुत विरोध किया था, क्योंकि पुरानी विचार-धारा से अलग होना, या उससे थोड़ा सा दूर होना, लोग अच्छा नहीं समझते थे, और वे समझते थे कि इस से काफी हानि होगी। जो परम्परागत चीज है, चाहे वह चीज अच्छी हो या बुरी हो, उस के साथ चलना बहुत आसान है।

It requires live fish to go up the tide, any place of log can come down.

जिस दिशा में लहरें चलती हैं, उस दिशा में चलते रहना बहुत आसान है, लेकिन लहरों के विरोध में जाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपने देखा कि जब हिन्दू कानून का कोडिफिकेशन हुआ, तो उसका काफी विरोध हुआ, लेकिन उस के बावजूद जनता की अलाई के लिए, समय की सुविधा के लिए, समय की मांग को देखते हुए, समय की गति को दृष्टि में रखते हुए, उस समय जो प्रधान मंत्री थे, उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ यह काम करवाया। इस से जनता की बहुत अलाई हुई। इसीलिए आज लोग कहते हैं कि हिन्दू कानून का कोडिफिकेशन होने से बहुत अच्छा हुआ, बर्ता बड़ा मुश्किल होती।

16.29 hrs.

[**SHRI VASANT SATHE** in the chair]

और भी कही कानूनों में एक सैक्षण में एक बात कही जाती है और दूसरे सैक्षण में दूसरी बात कही जाती है—परिवर्तन करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप संसद ने कानून है। वैयक्तिक कानून में विवाह

[डा० सरोजिनी महिषी]

विच्छेद और दत्तक इत्यादि की व्यवस्थायें होने की बजह से, और सदियों से रुद्धिगत होने की बजह से भी, कुछ लोग उस में परिवर्तन साना प्रचला नहीं समझते हैं। कुछ लोग जरूर यह समझते हैं कि इस में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रगति चाहते हैं, और जिस को वे प्रगति कहते हैं, उस की व्याख्या भी वे लोग दे सकते हैं। जो गति है—वह गति इस दिशा में हो या उस उस दिशा में, वे यह नहीं बता सकते हैं—, वही प्रगति है।

जब अदालत के द्वारा ज्यूडिशियल सेपरेशन या रैस्ट्रीट्यूशन प्राप्त कंजूगल राइट्स के बारे में निर्णय दे दिया गया, तो उसके बाद जो दो साल की लम्बी अवधि हिन्दू कानून में रखी गई है, वह नहीं रहनी चाहिए, इसके बारे में श्री मधु लिमये संभाधन लाये हैं। माननीय सदस्य ने पुराने संस्कृत गाहित्य की बात कही है। पुरा हिन्दू कानून संस्कृत में हैं। मनु, गीतम्, याज्ञवल्क्य और बोधायन इत्यादि की स्मृतियां सब संस्कृत से हैं। इसीलिए बारबार उसका रैफरेंस देना पड़ता है।

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्दगांव) : विवाह, विवाह-विच्छेद और विवाह संकल्प आदि के बारे में मंत्री महोदय, बड़ी विद्वता के साथ बता रही है। लेकिन वह यह भी बता दें कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या हाल हुआ था। विवाह की धारा वहीं से प्रारम्भ हुई थी। यदि मंत्री महोदय वह दृसान्त बता दें, तो सदन के लिए बहुत रुचिकर होगा।

डा० सरोजिनी महिषी : इस समय उस दृसान्त की कोई संगति नहीं है। अगर श्री पांडे जी उसको कुनने की विलम्बस्थी है, तो वह किसी प्रचली विवाह पर वह प्रवक्तन रखें।

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय ने याज्ञवल्क्य का किन्न किया, तो मझे इसका दृसान्त नहीं। अगर मंत्री महोदय वह बता दे कि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी के सम्बन्ध

कैसे थे, तो प्रचला है, क्योंकि विवाह की धारा वहीं से शुरू हुई।

समाजसिंह महोदय : क्या यह जानकारी इस बिल के लिए आवश्यक है?

श्री राम सहाय पांडे : मैं अपनी भ्रान्ति दूर करना चाहता हूँ।

डा० सरोजिनी महिषी : श्री पांडे ने उसको किस ढंग से समझा है, यह मेरी समझ में नहीं आया। भ्रान्ति को दूर करने का न यह स्थान है और न ही इस समय इसका आवित्य है। उनको भ्रान्ति है भी या नहीं, मुझे यह भी पता नहीं है।

विवाह के साथ-साथ विच्छेद की बात उस समय भी थी। लेकिन इस समय उसके सुसंस्कृत वर्णन, रिवाइज्ड वर्णन, को भी हम हिन्दू कानून में देखते हैं। इस विषय से सम्बन्धित धाराएं 13 और 15 हैं। उनके बीच में धारा 14 भी है, लेकिन श्री मधु लिमये के बिल में उसका रैफरेंस नहीं है। श्री सोमनाथ चट्टर्जी ने उसके बारे में एक अमेडमेंट दिया है। किन्तु ओरिजिनल बिल में वह न होने की बजह से उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। हिन्दू कानून में विवाह एक संस्कार है।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकामतम्भा : कन्यादान क्या है? कन्या को दान करते हैं जानवर के तरह।

डा० सरोजिनी महिषी : इस विषय में कई विचारधाराएं हैं और कई क्षतिकारी विचार भी चुके हैं। विवाह का रजिस्ट्रेशन भी एक क्षतिकारी विचार है। जो पुरानी दुनियाद थी, उसके आधार पर रजिस्ट्रेशन का प्रावधान लाया गया जो कि उस बक्त व्यक्तिकारी सन्तान था। आज भी हिन्दू कानून के अनुसार रजिस्ट्रेशन करना ओप्पानल रखा जाता है। हरेक स्टेट की इसके बारे में कानून बनाकर उसको कंपलेसरी बनाने का क्षतिकार है, लेकिन आपने देखा है कि अभी तक किसी

राज्य सरकार ने उसको कम्पलसरी नहीं बनाया है। अगर वह कम्पलसरी बन भी जाता है, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों की मशीनरी से ही काम लेना पड़ता है। वह सारा लैजिस्लेशन जनता के सहयोग पर अवलम्बित रहता है। राज्य सरकारों ने अभी तक इसको कम्पलसरी क्यों नहीं किया, इसके बारे में माननीय सदस्यों को सोचना चाहिए। अगर केन्द्रीय सरकार को करना है, तो वह यूनियन टैटीटरीज के लिए कर सकतो है, वह सारे भारत के लिए भी कर सकती है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों की मशीनरी को ही इस्तेमाल करना पड़ता है।

सभापति महोदय : इसको कार्यान्वित करने में क्या दिक्कत है? इस बिल में ऐसा कोई सवाल नहीं है।

श्री मधु लिमये : इस विधेयक के बारे में कुछ अन्य प्रश्न भी उठाये गये हैं। मंत्री महोदया उनका जवाब दे रही हैं। रजिस्ट्रेशन आफ मेरिजेस, बिगंमी और पौलीगंमी, ये सब विषय इससे जुड़े हुए हैं। बिगंमी और पौलीगंमी डाइवोर्स के ग्राउन्ड होते हैं।

डा० सरोजिनी महिषी : श्री मधु लिमये ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दुर्बलता आदि कई विषयों का जिक्र किया है। देहात में गवर्नर गेंस प्लानट भी नहीं हैं। इसलिये महिलाओं को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि महिलाओं की सारी शक्ति उसमें खर्च हो जाती है और दूसरी तरफ सोचने के लिये, दूसरे कामों में अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के लिये उसको समय और मौका नहीं मिलता है। माननीय सदस्य का मतलब यहीं था कि महिलाओं का सारा समय खाना बनाने और घर की देखभाल करने में निकल जाता है। उनका मूल आशय यहीं है कि महिलाओं की सारी शक्ति खाना बनाने आदि में खर्च नहीं होनी चाहिये।

उन्होंने यह भी कहा कि कई स्थानों पर महिलाओं को पीने का पानी भी दूर से लाना पड़ता है, वर्ग रह, वर्गरह। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दुर्बलताओं को, जो कि लम्बे असें से चली आ रही हैं, दूर करने के लिये, और उनको भारतीय नागरिक के नौर पर जो स्वतन्त्रता मिली है, उसको पूरे ढंग से इस्तेमाल करने के लिये, उनको जो अवकाश और मौका मिलना चाहिये, वह उनको नहीं मिलता है।

हम सब इस बात से सहमत हैं, लेकिन इसको कैसे करना है, इसके बारे में सब लोगों को मिलकर सोचना है। जनता में जो रुढ़ियां आई हैं उनको हटाने के लिये क्या कोशिश करनी चाहिये? किन्तु हम उनको एक दिन में नहीं हटा सकते हैं। कानून से उनको कैसे हटायेंगे? जनता को साथ लेकर उन अनिष्ट रुढ़ियों और कुरोतियों को हटाना पड़ता है। उसके लिये कोशिश की जाती है, लेकिन वह कोशिश काफ़ी नहीं है।

विवाह और विच्छेद के बारे में याज्ञवल्क्य की स्मृति में कई बातें दी गई थीं :

नष्टे मृते प्रवृजिते क्लीबे च पतिते पती,
पंचसु आपत्सु स्त्राणां तिरन्यो विधीयते ।

श्री मधु लिमये : अभी तक हमारे एकट में यहीं ग्राउन्ड्स हैं।

डा० सरोजिनी महिषी : लेकिन कई ग्राउन्ड्स उसमें शामिल की जा सकती हैं, क्योंकि समाज का चिन्ह बदल चुका है, समाज में कई मूल्यों का परिवर्तन हो चुका है। इसलिये उसमें कई और ग्राउन्ड्ज को जोड़ा जा सकता है।

माननीय सदस्य जो बिल लाये हैं, उसका आशय यह है कि अदालत के निर्णय के बाद जो दो साल का समय रखा गया है उसको छटा कर 6 महीने रखना चाहिये, क्योंकि जब पति और पत्नी में संघर्ष, मतभेद और विरक्षता होती है, तो उनके साथ आने का कोई

[ठा० सरोजिनी महिला]

भीका नहीं होता है, इसलिये इतनी समीक्षा प्रधानि रखने की क्या जरूरत है ?

ला-कमीशन ने अपनी 5 वर्षीय रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि इस अधिकारी को दो साल तक बटा कर एक साल किया जा सकता है, इसमें 50 प्रतिशत की कमी की जा सकती है, क्योंकि फिर भी यह आमता की जा सकती है कि वे साथ आ जायें और फिर पति-पत्नी के रूप में सम्बन्ध रखें ।

श्री मधु लिम्बे का कहना है कि धारा 15 में कहा गया है कि डाइवोर्स के बाद पुनर्विवाह के लिये जो एक साल क अधिकार रखी गई है, उसको कम करके 3 महीने कर दिया जाये । लेकिन ला-कमीशन ने सुझाव दिया है कि कोई समय रखने की जरूरत नहीं है । गवर्नरमेंट इसके बारे में विचार कर रही है । ला-कमीशन को इन मामलों पर विचार और अध्ययन करने के लिये कहा गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है ।

श्री मधु लिम्बे : हर बात में, सोशल मामलों में भी, ला-कमीशन को बीच में क्यों लाया जाता है? अगर सरकार किसी को बजाने देना चाहती है, तो वह इस कमेटी को देगी, या ला-कमीशन को देगी? मैं कमेटी के सुझावों को ज्यादा महत्व दूँगा । ला-कमीशन में सब कंजरेटिव लोग भरे हुए हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : ला-कमीशन भी इस बात को तो मानता है न कि जुड़ीशियल सीपरेशन के बाद जो दो साल क समय दिया हुआ है, वह समय ज्यादा है । माननीय सदस्य 6 महीने का सुझाव दे रहे हैं । जबकि ला-कमीशन साल भर की बात कह रहा है । श्री मंकी महोदया यह बता सकती है कि 6 महीने और एक साल में राशनेल क्या है? जहाँ तक डाइवोर्स का सम्बन्ध है, ला-कमीशन का कहना है कि उसके बाद कोई समय नहीं रखना चाहिये । श्री मधु लिम्बे उसको मानते के लिये तैयार हैं । जब सिद्धान्त को

माना जा सका है और कमीशन की रिपोर्ट और कमेटी की रिपोर्ट इतने दिनों से सरकार के सामने है, तब इस बात का क्या विचारित्य है कि इस प्रश्न को यह कह कर आगे छोड़ दिया जाये कि यह विचाराधीन है ?

समाप्ति महोदय : अभी मंकी महोदया प्रपने भाषण में ओपरेटिव पोर्टन पर नहीं आई हैं । वह अभी सरकार की राय देंगी ।

ठा० सरोजिनी महिला : मैं ला-कमीशन की राय बता रही हूँ । सरकार की राय भी मैं अभी बताती हूँ । यह मामला ला-कमीशन के सुपुर्द किया गया और उसने अध्ययन करके अपनी राय दे दी ।

माननीय सदस्यों ने भी जो राय दी है, सरकार उस पर भी सोचती है । विभिन्न लोग इस बारे में जो विचार व्यक्त करते हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए, किस किस्म का परिवर्तन करना चाहिये, इसके बारे में हमेशा सोचा जाता है । ला-कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उस पर पूरी तरह से सोच कर एक बिल जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं । ला-कमीशन के सुझाव माननीय सदस्यों के सामने है । लेकिन यह जल्दी नहीं है कि जिस रूप में उसने सुझाव दिया है, उसी रूप में उसको स्वीकार करना चाहिये । लेकिन उसका सार इस सदन और सरकार के सामने है । सरकार उसके बारे में सोच-विचार करके, परामर्श करके, कोई निर्णय लेगी और बाद में इस सदन के सामने रखेगी । वह बिल इस सदन के सामने पेश किया जायेगा ।

श्री मूल चन्द ढागा : सरकार की क्या मंशा है ?

समाप्ति महोदय : सरकार की मंशा बिल में आ जायेगी ।

श्री मूल चन्द ढागा : श्री गोदले ने ला-कमीशन को जो लैटर एड्रेस किया,

उसमें लिखा था कि जल्दी से जल्द इस रिपोर्ट को दिया जाये। उसको आज ढेर साल हो चुके हैं। अगर सरकार ढेर साल तक बैठी रहे और इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में भी बिल लेकर न आये तो यह उचित नहीं है। मंत्री महोदया हमारी बातों की तारीफ करती हैं और अन्त में कहती हैं कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है। हमने कहा है कि समय को कम किया जाये। मंत्री महोदया बताये कि क्या सरकार इस सुझाव को मान रही है?

डा० सरोजिनी महिली : मैंने तीन बातें कही हैं : परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन के बारे में लांकमीशन की राय भी हमसे सहमत है और सरकार उसके बारे में विचार करके जल्दी से जल्दी एक विधेयक लाने की कोशिश कर रही है।

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदया "जल्दी से जल्दी" की कोई समय मर्यादा दे सकती हैं?

डा० सरोजिनी महिली : आपको मालूम है कि जल्दी-से-जल्दी की व्याख्या किसी डेट के रूप में देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन माननीय सदस्यों और सरकार का उद्देश्य एक ही है।

सभापति महोदय : क्या वह विधेयक अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में आयेगा?

डा० सरोजिनी महिली : जरूर आ जायेगा।

श्री राम सहाय पांडे : जो माननीय सदस्य—श्री डागा, श्री सात्ये आदि—इतने उत्तराले हो रहे हैं, क्या उनका मन साफ है? क्या दाल में कुछ काला तो नहीं है?

डा० सरोजिनी महिली : यह विधेयक केवल महिलाओं से सम्बन्धित नहीं है, ऐसा नहीं है। यह पूरे समाज से सम्बन्धित है। यह विधेयक सामाजिक कानून में परिवर्तन लाने

के लिये और पूरे समाज की जलाई के लिये है। इसको जल्दी से जल्दी लाने का प्रयत्न किया जायेगा।

इसलिये माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वह अपने संशोधन विधेयक को बापस ले लें। जो दूसरे अमेडमेंट पेश किये गये हैं, सरकार का इरादा उनको भी स्वीकार करने का नहीं है। इसलिये माननीय सदस्य उनको भी बापिस्त ले लें।

श्री भूल बन्द डागा : मंत्री महोदया ने 6 महीने और एक साल के बारे में कोई रीजन्स नहीं बताया है। उसके लिये रीजन्स क्या है?

सभापति महोदय : वह बिल में बतायेगी।

श्री भूल लिम्पे (बांका) : सभापति महोदय, सब से पहले मैं सोमनाथ चटर्जी के संशोधन के बारे में कहूँगा। उन्होंने धारा 14 में संशोधन दिया है, जिसमें यह कहा गया है :

"Notwithstanding anything contained in this Act it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a decree of divorce unless at the date of presentation of the petition 3 years have elapsed since the date of marriage."

माननीय सदस्य अपने संशोधन के द्वारा यह चाहते हैं कि 3 वर्ष की जगह 1 वर्ष रखा जाये। मैंने उसको इसमें इसलिये शामिल नहीं किया है, क्योंकि मैं भी यह नहीं चाहता हूँ कि लोग शादी होते ही विच्छेद की चर्चा शुरू कर दें। यह मैं मानता हूँ कि कोशिश यह की जाय कि अगर कुछ विवाद हुआ है, अगड़ा हो गया है तो उसको सुलझाने का प्रयास किया जाये। इसलिए यह जो तीन साल की एंबसोल्यूट लिमिट है उस के लिए मैंने इसमें स्पर्श तक नहीं किया है।

एक मानवीय सदस्य : करना चाहिये था।

बी मधु लिखते : नहीं, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि तीन साल की यह जो मियाद है उस को तो मैंने हाथ नहीं लगाया है।

एक मानवीय सदस्य : आपकी दृष्टि में तीन साल अवधि नहीं हैं ?

बी मधु लिखते : है, लेकिन तीन साल तक प्रयास करके समझौता हो सकता है। इसलिये इसको तो मैंने हुआ तक नहीं। लेकिन आकी जो मेरा सुझाव है कि जूडी-शिवल सेपरेशन के बाद दो साल की जगह पर 6 महीने कर दिया जाये, अब जूडीशियल सेपरेशन के लिए ही नियम है, उसके लिए एक ग्राउन्ड यह दिया है :

"Deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years immediately preceding the presentation of the petition."

यानी दो साल तो है ही। इसलिए उसके और दो साल और फिर डाइवोर्स और फिर एक साल, पूरी योजना को देखना चाहिए। जब तीन साल की एक मर्यादा है ही तो उस सीमा के अन्दर इस अवधि को घटाने से कोई नुकसान नहीं होता है और एक साल वाला जो मामला है यह कितना तकलीफदेह है इसका एक उदाहरण मुझको मिला है। यह बहुत ही एक प्रोजेक्टेड केस है और चूंकि अदालतों के निर्णय साफ नहीं हैं इसलिए क्या नतीजा हो रहा है, यह आप देखिए। उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहता। उसका एक केस आया, उस में इस तरह इश्यूज़ फ्रेम किए गए :

"(1) Whether the marriage of the parties is void ab initio in view of the proviso to Section 15 of the Hindu marriage Act, 1955?

(2) What is the effect of the respondent having disclosed to

the petitioner and her parents the factum of the said decree of divorce before the parties entered into marriage with each other.

उस के ऊपर जज कहता है :

(3) According to the admitted facts of the parties, the respondent was previously married to X against whom he obtained a decree of divorce on 28th May, 1970 in Matrimonial Case No. 46 of 1970 from the Court of....

In view of the proviso to Section 15 of the Act, the marriage of the parties having taken place before the lapse of one year from the date of the decree of divorce is not lawful and must be held void *ab initio*.

It has been held in (1968 Allahabad) that remarriage in contravention of proviso to Section 15 is void *ab initio*.

अब उसका नतीजा क्या है ? उन्होंने कहा कि एक साल नहीं हुआ है यह मैंने बीबी को और उसके रिश्तेदारों को बता दिया था, तो भी जज कहता है :

"Parties could not contract themselves out of mandatory legal provisions of law contained in the proviso to Section 15 the Act and consequently, disclosure as alleged is meaningless and has no effect on the illegality of the marriage of the party."

उसके बाद क्या हुआ ? फिर एलिमनी वाला मामला आया। यह बहुत विचित्र केस है कि पत्नी के रिश्तेदारों ने दबाव डाल कर इस केस में मैरिज को ऐब इनिशियो नल एड बायड करवाया। उसके बाद एलिमनी का जब सवाल आया तो जज कहता है—एक से दूसरा छुड़ा हुआ होता है, मेरा बिल 25 पर नहीं है, लेकिन मैं कानूनिक नहीं

जल्दी देखने के बाद जिस कानूनीहैंसिवा विधेयक की बात में कदर हड़ा था उसमें यह भी लाना आहिए। सेक्षण 25 में एती छिकी की परिभाषा की गई है। नलिटी वाली छिकी का जहां तक सम्बन्ध है, उस में तो वह पत्नी ही कहती है कि यह जो शादी हुई है यह शादी थी ही नहीं। यह अबैष थी और फिर वही एलिमनी के लिए भी कहती है। तो अगर यह एक साल वाला कानून नहीं होता तो यह सारी आफत नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं कि एक धारा से दूसरी धारा का सम्बन्ध है, दूसरी धारा से तीसरी धारा का सम्बन्ध है। अब इसके बारे में गुजरात और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नलिटी के केस में भी यह एलिमनी वाला लागू हो जाता है। मद्रास हाईकोर्ट ने उस के विपरीत निर्णय दिया है। मैं दोनों पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने यह कहा है :

"We may express our view having regard to the argument at the bar that sec. 25 cannot be construed in such a manner as to hold that notwithstanding the nullity of marriage, the wife retains her status for purposes of applying for all money and maintenance. The proper construction of s. 25 in our view would be that where a marriage is admittedly a nullity, but where the question of nullity is in issue and is contentious, the court has to proceed on the assumption until the contrary is proved that applicant is the wife. It is in that sense that s. 25 should be appreciated".

इस में स्पष्ट रूप से मैं यह सुनाव रखना चाहूंगा कि नलिटी छिकलेयर करने में भर्द का हाथ है और औरत का नहीं है तो मैं चाहता हूं कि इस को इस तरह बदला जाय कि उस के ऊपर जिम्मेदारी आएगी लेकिन जहां उस का दोष नहीं है वहां तो इस को आप सौच सकते हैं। लेकिन अबर

यह एक साल आप खात्म ही कर देंगे तो इस तरह की जो समस्यायें हैं वह नहीं आएंगी।

मंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्दी विधेयक आएगा और जल्दी की व्याख्या करने से इनकार किया उन्होंने। लेकिन जल्दी की जो यहां व्याख्या है वह मैं उन के सामने रखना चाहता हूं। फारेन मैरिजेज बिल राज्य सभा में पारित हो कर चार साल तक यहां पड़ा था।

एक माननीय सदस्य : एक साल में लाएंगे।

श्री मधु लिम्बे : नहीं, इससे नहीं चलेगा।

हिन्दू मैरिजेज एक्ट का एक संशोधन हुआ था चौथी लोक सभा में। सब लोगों के हाथ पैर पकड़ कर लोगों के साथ अनुनय विनय कर के मैं ने पास करवाया था। दो घंटे के अन्दर फारेन मैरिजेज बिल की भी इसी तरह बिना डिस्केशन के तीनों स्टेज यहां पर पास हो गई थीं। लेकिन उस के लिए इतनी दफा मुझे प्रधान मंत्री को और रघुरमेया को लिखना पड़ा। यह जल्दी की जो व्याख्या है वह करने से इन्होंने इनकार किया इस में कई साल लगेगे।

सभापति महोदय : उन्होंने एक बात और कही जो आप ने सुनी होगी कि यह जो वर्ष है महिला वर्ष उसी के अन्दर लाने का प्रयास किया जायगा।

श्री मधु लिम्बे : इंट्रोडक्शन और पास होने में बहुत अंतर है। इन्होंने केवल वचन यह दिया है कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, पारत भी करेंगे।

श्री मधु लिम्बे : तो अगले सेशन में क्यों नहीं कहती हैं पारित करने के लिए, तब मैं वापस ले लेता हूं। मानसून सेशन में यह विधयक हम लोग लोक सभा में पास

करेंगे यह आश्वासन देने से हम इस को बापस लेने के लिए तैयार हैं, महीं, इसमें कोई पाटी का सवाल नहीं है, इस पर एक अधिकार को छोड़ कर सभी लोगों ने इस का समर्थन किया है। अभी सरोजिनी जी ने कहा था कि जब हिन्दू कोड बिल आया तो उतना जबर्दस्त विरोध था कि वह पास नहीं हो सका तो उस को तीन हिस्सों में करना पड़ा। लेकिन आज आप ने देखा होगा कि जनसंघ के दो मेम्बर यहां पर बोले और पंद्रह दिन पहले जो बोले उन्होंने तो कहा कि आप के बिल में तो और ज्यादा समय कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक साल में क्यों रहना चाहिए? पूरा हटा देना चाहिए। आज बड़े जी ने भी इस का समर्थन किया। तो जमाना बदल गया है, लोगों का दुष्टिकोण बदल गया है और ऐसी हालत में सरकार जो लापरवाही बरत रही है वह ठीक नहीं है। क्योंकि कई दफा आप ने भंवी जी ने, आप तो अभी अभी इस मवालय में आई है, लेकिन गोखले जी ने मुझे पत्र लिखा, कई बार टेलीफोन पर कहा कि हां हां, बहुत जल्दी करेंगे, जल्दी करना चाहते हैं। लेकिन कुछ आप लोग नहीं कर रहे हैं। इमलिये सीधा आश्वासन दीजिये। मैंने जो तीन सुझाव दिये हैं—इन के बारे में मानसून सेशन में विधेयक पारित करने का आश्वासन देते हैं तो मैं बापस लेने को तैयार हूँ।

17 hrs.

श्री शशि भूषण : वह कह रही है कि करेंगे।

श्री मधु लिमये : प्रीग्राम बनाना इन के हाथ में है। मैं अपने बिल को यहां ला सकता हूँ, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो सरकार का बिल है, उस पर कितना बकल लगगा.....

श्री शशि भूषण : इस में हम आप की मदद करेंगे।

श्री मधु लिमये : मदद हो नहीं पाती है—चार-चार साल पारित होने में सम जाते हैं।

सभा परित भाषण : नेक्स्ट सेशन में लाने की बात कही है।

श्री मधु लिमये : लेकिन उस से मैं सन्तुष्ट नहीं हूँ।

डा० सरोजिनी महिला : पास होने की बात मैं कैसे कह सकती हूँ।

श्री मधु लिमये : कन्सीड्रेशन मोशन लाने की जिम्मेदारी मैं सकती हूँ। इन्ड्रोडक्शन और कन्सीड्रेशन मोशन में बहुत फर्क है। वे इतना कह दें कि कन्सीड्रेशन मोशन लायगो।

श्री सरोजिनी महिला : हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस को लाने की और उस के साथ ही आप के सहयोग से उसे पारित करने का प्रयास करेंगे।

श्री मधु लिमये : क्या अगले सेशन में होगा।

डा० सरोजिनी महिला : डेट देना बहुत मुश्किल है, जल्द से जल्द करेंगे ऐसा मैंने उस समय भी कहा था और अभी भी कह सकती हूँ।

श्री मधु लिमये : ठीक है—मैं मान लूगा।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to Shri Madhu Limaye to withdraw the Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955."

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक बापस लेता हूँ।